SPEED POST /OUT TODAY/
MOST URGENT

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, NEW DELHI
(RTI BRANCH, DTTE)
(Ph. No. 27321024 , Email:- piohqtte.delhi@gov.in)

NO.F.2 (16)/2006/RTI/TTE/ID No.**4680/** 1880–81 Dated: 22.11.18

To

Sh.Bhagwati Prasad
S/O Ganeshi Lal
H.NO. 441, J.J. Colony, Bawana
Delhi – 110039.

Sub: Supply of information Under RTI Act-2005

Sir,

With reference to your application received on **01/11/2018** vide ID No. **4680** addressed to the undersigned regarding supply of information under Right to Information Act 2005. The replies/information in r/o DTTE (HQ) provided by Custodians of record whose help was taken u/s 5(4) of RTI Act 2005 is as under:

Information Sought	Information provided as per available records in the branches
Information as per Sl.No. 1 to 12	In this regard the sought information has been received from A.O.(Academic) is enclosed.

As per provisions of the RTI Act, 2005 u/s 19 (1), if you are not satisfied, you may file an appeal to the Ist Appellate Authority. The address of First Appellate Authority is as under:-

The First Appellate Authority,
Department of Training & Technical Education,Room No.103, Ist Floor,
Pitampura, Delhi- 110034.

22.11.18
(JITENDER RATHI)
PIO (RTI) DTTE

Copy for information to:-

1.The System Analyst (Computer Branch), DTTE with the request for upload the same on the Departmental Website. (Copy of RTI application is also enclosed).

Government of NCT of Delhi
DEPARTMENT OF TRAINING & TECHNICAL EDUCATION
MUNI MAYA RAM MARG, PI-TAMPURA, DELHI-110034.
Website: email: adtrg_dtte@rediffmail.com
Phone: 011-27321024

Industrial Training Institute

F.7(19)/Acad/PMKVY2.0/1752/RTI/2018/2315 dated: 20-11-2018

सेवा में,
श्रीमान लोक सूचना अधिकारी जी,
प्रशिक्षण एवं तकनिकी विभाग, दिल्ली सरकार ,
पीतमपुरा, दिल्ली-११००८८।

विषय :- Information sought RTI Act, 2005 for I.D. No. 4680 dated 01/11/18.

आपके पत्र संख्या F.2(16)/2006/RTI/TTE/IDNo.-4680/1911 दिनाक ०१/११/१८ के अनुसार, मांगी गयी सूचना का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है।

1. यह सुचना पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है.
२. प्रशिक्षण नहीं हुआ है. अन्य सुचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है.
३. सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनिकी विभाग, दिल्ली सरकार के अनुमति से बैंक गारंटी लिया गया है। इसकी प्रति के लिए विभाग को दो रुपये/- प्रति जमा करना होगा।
४. यह सुचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है.
५. समय सीमा ३१/०३/२०१८ तक बढाई गयी थी। सभी रिपोर्ट्स जमा करवाई गई है.
६. संस्तुति :१३५, स्वीकार :१३५ एवं निरस्त : ५६।
७. यह सुचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है.
८. विभागीय दिशानुसार कार्य किया गया है।
९. वर्ष २०१७-१८ में १०,००० का टारगेट आवंटित किया गया है।
१०. यह सुचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है.
११. यह सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है.
12. इसका विवरण इस प्रकार है :-

Sl. No.	Dairy no.	Date	Action
1	8452	12/09/2018	Under process
2	8994	01/11/2018	Same subject above.
3.	8552	03/10/2018	File is under process.

भवदीय,
20/11/18
(जे. एस. राठी)
प्रशासनिक अधिकारी (अकादमिक)

NISHA SOCIAL WELFARE SOCIETY (REGD.)
Registered Under Society Act. 1860 (Registration No. S10094-NE/10 Govt. of Delhi All India)
Head Office : First Floor, Basti Vikas Kendra, C-Block, J.J. Colony, Bawana, Delhi-110039
Ph.: 011-27753046, 7210199701, 8447667702, 9540526344
E mail : nishasocialsociety@gmail.com Website : www.nishasocialwelfare.org

NSWS/RTI/DSMS/2018/401-18 Date ....01....11-2018

4680/FDNo
1/11/18

सेवा में,
श्रीमान सूचना अधिकारी महोदय
दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय)
कमरा नम्बर-204, दित्तीय तल,मुनिमायाराम मार्ग पीतमपुरा दिल्ली-34

विषय : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन पत्र:

सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मै प्राथी भगवती प्रशाद पुत्र श्री गणेशी लाल पता- बी-441,जे.जे. कॉलोनी बवाना दिल्ली -39, का निवासी हूँ| मै निशा सोशल वेलफेयर सोसायटी कार्यलय पता-प्रथम तल, बस्ती विकास केंद्र, सी- ब्लाक, जे.जे. कॉलोनी बवाना दिल्ली-39 गैर सरकारी सगंठन में महासचिव पद पर कार्यकर्त हूँ| निशा सोशल वेलफेयर सोसायटी ने आपके विभाग में दिनाक 15-12-2017 को पी.एम.के.वी.वाई. 2.0 स्कीम के अंतर्गत ट्रेनिग सेंटर के लिए आवेदन किया था| इसी संदर्भ में निचे लिखे प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में जानना चाहता हूँ और सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में जो भी प्रितिलिपि का देय राशि दो रुपये प्रितिलिपि देने का हक़दार हूँ| इस आवेदन के साथ 10 रूपये भारतीय पोस्टल ऑडर नम्बर-..............दिनाक-....-11-18 सल्गन है|

1. प्रश्न-एन.एस.डी.सी.एव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम को स्टेट कोम्प्नेंट में संचालन करने के लिए दिशा -निर्देश (गाइडलाइन) लिखत रूप में दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को क्या जारी की गयी थी? अगर जारी की गयी थी तो कृपया करके उसकी उस पत्र या दिशा -निर्देश (गाइडलाइन) की प्रितिलिपी प्रदान करे|

2. प्रश्न-जब दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को जब पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम को स्टेट कोम्प्नेंट में संचालन करने के लिए सेन्ट्रल द्वारा आदेश जारी किये गए थे तो DSMS द्वारा उस पर क्या वर्क आउट तैयारी की गयी थी? क्या DSMS कर्मचरियों को इस स्कीम को तय सीमा के अन्दर सही रूप से संचालित करने के लिए क्या कोई भी प्रशिक्षण(ट्रेनिंग)कार्यशाला आयोजित की गयी थी? अगर की गयी तो उस ट्रेनिग के मिनट्स कॉपी की प्रितिलिपि प्रदान करे| अगर नहीं की गयी थी तो DSMS के अनट्रेंड कर्मचारियों, स्कीम की जरुरत के हिसाब से कर्मचरियों कमी के की कारण, से इस स्कीम को तय सीमा से अधिक विलम्ब होने पर ट्रेनिग संट्रो के सचलानको का मानशिक, शारीरिक, वित्तीय रूप मे हानि पहुचाने वाले और जवाबदेही और जिम्मेदारी किस अधिकारी की है?कृपया उपरोक्त प्रश्न बिन्दुये का जवाबदेही अधिकारियो का उसका पूरा ब्योरा दे|

GENERAL SECRETARY
NISHA SOCIAL WELFARE SOCIETY DELHI

एन.एस.डी.सी. एव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम को स्टेट कोम्प्नेंट में संचालन करने के लिए दिशा -निर्देश (गाइडलाइन) लिखत रूप में दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को जो जारी की गयी थी क्या उसमें लिखित रूप में आपके विभाग या दिल्ली सरकार को निर्देश दिए गए थे की हर ट्रेनिंग सेंटर से पांच लाख रूपये की बैंक गारंटी DSMS में जमा करवाना अनिवार्य है? या क्या आपके विभाग एव दिल्ली सरकार द्वारा अलग से बैंक गारंटी के दिशा-निर्देश बनाये गए थे| अगर इस तरह का कोई प्रावधान बनाया गया था तो कृप्या पूरा ब्यौरा एव विभागीय प्रावधान मिनट्स प्रितिलिपी प्रदान करे|

4. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को एम्पनेल्मेंट अंडर पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम के तहत कितने ट्रेनिग सेन्टर, कितने ट्रेनिग प्रोविड़ार ने आवेदन किया था? कितने ट्रेनिग सेन्टर, कितने ट्रेनिग प्रोविड़ार को दस्तावेज के आधार पर इंस्पेक्शन ऑफ़ ट्रेनिग सेंटर्स के अप्प्रूव किया गया| अगर किसी ट्रेनिग सेन्टर, या ट्रेनिग प्रोविड़ार का भी ऑफिस पता या स्पॉक पर्सन डबलिंग थे तो आपके विभाग ने उसी समय उसका आवेदन रद्द क्यों नहीं किया गया? अगर आप उसी समय डबलिंग आवेदन को रद्द कर देते तो ट्रेनिग सेंटर वर्तमान समय तक ट्रेनिग सेंटर के सचलानक को मानशिक, शारीरिक, वित्तीय रूप मे हानि क्यों उठानी पड़ती? ट्रेनिग सेंटर को इंस्पेक्शन के लिए प्रिंसिपल आईटीआई के लिए क्यों भेजा गया? उपरोक्त विन्दुयो का कौन अधिकारी जिम्मेदार है कृप्या पूरा ब्यौरा दे|

5. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी ने जब सभी आईटीआई प्रिंसिपल को ट्रेनिग सेंटर की इंस्पेक्शन रिपोर्ट 31-01-2018 तक आपके DSMS में जमा करने का निर्देश जारी किया था| किन -किन आईटीआई प्रिसिपलो, ने कितने ट्रेनिग सेंटरो की रिपोर्ट 31-01-2018 DSMS में तय सीमा में जमा करवाई? जिन आईटीआई प्रिंसिपलो ने समय सीमा पर आपके कार्यलय में रिपोर्ट जमा नहीं की उन आईटीआई प्रिंसिपलो पर DSMS विभागियो रूप से क्या कारवाही की गयी? कृप्या पूरा ब्यौरा दे|

6. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी के पास आईटीआई प्रिंसिपलो द्वारा RECOMMEDAON/ACCEPTED/ REJECTED कितने ट्रेनिंग सेंटरों की आई है? दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी ने दिनाक 31-10-2018 तक कितने ट्रेनिग सेंटरो को टार्गेटेड अलोकेशन का ईमेल भेजा गया है? कितने ट्रेनिग सेंटरों ने बैंक गारंटी आपके विभाग में जमा करवाई है? कितने ट्रेनिंग सेंटरों को आपके विभाग द्वारा MOU हस्ताक्षर करके दिया गया है? कितने ट्रेनिग सेंटर NSDC समार्ट पोटल पर CAAF एप्रूव्ड एव एफिलिएटेड है कुपया करके सभी प्रश्न बिंदियो की सूचि प्रितिलिपि ब्यौरा प्रदान करे|

7. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को जब एन.एस.डी.सी. एव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिशा -निर्देश (गाइडलाइन) NSDC समार्ट पोटल पर CAAF एप्रूव्ड एव एफिलिएटेड सेंटर को ही DSMS द्वारा ही टार्गेटेड देना था? तो आईटीआई प्रिंसिपलो से ट्रेनिग सेंटरों की इंस्पेक्शन क्यों करवाई? आईटीआई प्रिंसिपलो द्वारा ट्रेनिग सेंटरों की जो इंस्पेशन हुयी उसका क्या महत्व है?

NISHA SOCIAL WELFARE SOCIETY
GENERAL SECRETARY
DELHI

8. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम कौन सी- दिशा- निर्देश (गाइडलाइन) पर संचालन कर रहा है? एन.एस.डी.सी.एव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम की दिशा- निर्देश में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं जिसमे आईटीआई प्रिंसिपलो से ट्रेनिंग सेंटरों का इंस्पेशन करवाया जाये? यदि है तो उसकी दिशा- निर्देश की प्रितिलिपि प्रदान करे|

9. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी को एन.एस.डी.सी.एव कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष-2017-18 का कितना टार्गेटेड आवटित किया गया और इस पर आपके विभाग द्वारा क्या कारवाही की गयी? किन कारणों और किस- किस अधिकारियो की लापरवाही की वजह से वित्तीय वर्ष-2017-18 समय सीमा के दौरान ट्रेनिग सेंटरों को टार्गेटेड एलोकेशन नहीं हो पाया? कृप्या पूरा ब्यौरा प्रदान करे|

10. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी ने पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम को स्टेट कोम्प्नेंट में सही रूप और समय सीमा के अंतर्गत संचालन करने के लिए अपने उच्च अधिकारियो कर्मचारियों की कमी, या कर्मचारियों का प्रशिक्षण के कब - कब लिखित में अवगत करवाया? अगर नहीं करवाया तो इस स्कीम का फेलियर का कौन अधिकारी जिम्मेद्दार है कृप्या पूरा ब्यौरा दे सभी पत्रों की प्रितिलिपि प्रदान करे|

11. दिल्ली स्किल मिशन सोसायटी ने आगे भी भविष्य में पीएमकेवीवाई 2.0 स्कीम को स्टेट कोम्प्नेंट में सही रूप और समय सीमा के अंतर्गत संचालन करने के लिए कोई नै प्लानिंग या वार्कोउट प्लान तैयार किया है या नहीं ? आगे भी इसी तरह स्टाफ की कमी का बहाना बनाते हुए स्कीम विलम्ब ममे डालते रहेगे?

12. निशा सोशल वेलफेयर सोसायटी ने टीपी (TP002961) एव ट्रेनिग सेंटर (TC0045922) द्वारा आपके विभाग में कब- कब आपको पत्र के माध्यम से अपनी समस्या से अवगत करवाया उन पत्रों पर आपके विभाग द्वारा क्या- क्या कारवाही की गयी अगर नहीं की गयी तो उसका जिमेद्दार अधिकारी कौन है ? कृप्या पूरा ब्यौरा और प्रितिलिपि प्रदान करे|

❖ नोट: अगर प्राथी को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर 21 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं हुए थे तो आपके विभाग के प्रथम अपील सुचना अधिकारी को करने के लिए बाध्य होगा|

धन्यवाद|

NISHA SOCIAL WELFARE SOCIETY
GENERAL SECRETARY
DELHI

प्राथी

निशा सोशल वेलफेयर सोसायटी (महासचिव)
भगवती प्रशाद पुत्र गणेशी लाल
पता- बी- 441, जे. जे. कॉलोनी बवाना दिल्ली-39
फोन- 9540526344, 9811264654
ईमेल:nishasocialsociety@gmail.com